न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :–171/2020–21

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

ओमन कुल्ला – विक्रेता

रोमिला हेरेंज – क्रेता

आदेष की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
14.10.20	**आदेश** आवेदक ओमन कुल्ला पिता जयमसीह कुल्ला ग्राम–तोरपा रोड, खूँटी, पो0–खूँटी, थाना खूँटी जिला खूँटी ने रोमिला हेरेंज पति चम्पा हेरेंज ग्राम–खूँटी टोली, खूँटी, पो0–खूँटी, थाना–खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।	

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)
खूँटी टोली	80	35	796	0.10

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं0 1503487639 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 829 दिनांक 13.10.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि बिक्री केवाला पट्टा सं0–991/972 दिनांक 21.09.12 से क्रय की गयी है। खतियानी रैयत का नाम विशुवा मुण्डा वगैराह हैं। पंजी II के अनुसार ओमन कुल्ला के नाम भूमि का रकवा 0.18 एकड़ है। आवेदक के रकबा 0.10 एकड़ भूमि के आलावे अन्य मौजा बिचना खाता सं0 51, 52, रकबा 2.61 एकड़ भूमि कुल रकबा 2.71 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2020–21 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित 72473.00(बहत्तर हजार चार सौ तिहत्तर)रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 2.61 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने क्रेता–विक्रेता को भूमि क्रय–विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण ओमन कुल्ला पिता जयमसीह कुल्ला को रोमिला हेरेंज पति चम्पा हेरेंज के साथ ग्राम खूँटी टोली के खाता सं0 35 खेसरा संख्या 796 कुल रकबा 0.10 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 72473.00(बहत्तर हजार चार सौ तिहत्तर)के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेष से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

14/10/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

14/10/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।